

वर्ष 2022 के लिए जीवन प्रमाणपत्र का फार्म / FORM OF LIFE CERTIFICATE FOR YEAR 2022

प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी से 31 जनवरी तक पेंशनर द्वारा प्रस्तुत किए जाने के लिए जीवन प्रमाणपत्र

LIFE CERTIFICATE TO BE SUBMITTED BY A PENSIONER FROM 1st TO 31st JANUARY EVERY YEAR

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने पेंशनर (जिनका नीचे दिया गया नमूना हस्ताक्षर मेरी उपस्थिति में किया गया है) _____ को देखा है और वे इस दिनांक को जीवित हैं।

Certified that I have seen the Pensioner _____ (whose specimen signature is appended below in my presence) and that he / she is alive on this date.

अनुवृत्ति क्रमांक / Annuity Number: _____

वर्तमान पता / Existing Address:		पते में परिवर्तन, यदि कोई है तो / Change in Address, if any:
	Affix Recent Passport Size Photograph हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाये	
मोबाइल नं. / Mobile No.		मोबाइल नं. / Mobile No.
ई मेल आईडी / Email-ID:		

बैंक विवरण / Bank Particulars:

बैंक खाता सं. Bank Account No.		बैंक का नाम Bank Name	
पैन नं- / PAN No:		आधार नं- / Aadhar No.	

नोट : कृपया हमारे रिकॉर्ड के लिए हमें पैन एवं आधार कार्ड की प्रति भेजें / Note: Please send copy of your PAN and Aadhar Card for our records.

जनवरी, 2022 को _____ दिन पर _____ को जारी।

Issued at _____ on _____ day of January, 2022

पेंशनर का नमूना हस्ताक्षर / Specimen signature of Pensioner

*गवाह का हस्ताक्षर / Witness Signature : _____

नाम / Name : _____

व्यवसाय-पदनाम / Occupation-Designation : _____

पता / Address : _____

नोट/ Note

- यह प्रमाणपत्र उस कंपनी के प्रथम श्रेणी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए जहां से पेंशनर सेवानिवृत्त हुए हैं या राष्ट्रीयकृत साधारण बीमा कंपनियों के प्रथम श्रेणी अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा उनके कार्यालय के सील सहित या उस बैंक अधिकारी के द्वारा और उनका सील जहाँ पेंशनर का खाता है या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर के मामले में उनका पंजीकरण नं. अति आवश्यक है। यदि पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर विदेश में रहते हैं तो इसे भारतीय वाणिज्य दूतावास / दूतावास द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
- This certificate should be signed by a Class I Officer of the Company from which the Pensioner retired or a Class I Officer of the Nationalized General Insurance Companies or a Gazetted Officer under the seal of his / her office or an officer of bank where an account is maintained by pensioner along with seal or a Registered Medical Practitioner. In case of Registered Medical Practitioner his / her registration number is a must. In case pensioner or family pensioner residing abroad it should be attested by Indian Consulate/ Embassy.
- पेंशन विभाग, जीआईसी री द्वारा जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त न होने की स्थिति में, पेंशन को तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
- In case of non-receipt of Life Certificate by Pension Department, GIC Re, pension may be discontinued with immediate effect.